राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275; ई–मेल Seprd1235@gmail.com

कमांक एफ 4 (69) परावि/पीसी/सुरक्षा गार्ड/विविध/पार्ट–I/14/1715 जयपुर दिनांक 21/5/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः–अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डों को मानदेय भुगतान "RTGS" से करने बाबत्।
संदर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 4215 दिनांक 19.10.16।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 17668/2015 में दिये गये निर्णय के कम में दिनांक 06.09.2016 द्वारा सुरक्षा गार्डों को "RTGS" (real time gross settlement) के अनुसार मानदेय भुगतान करने तथा सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा इसकी पालना किये जाने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

पुनः अनुरोध है कि उक्त सुरक्षा गार्डों को मानंदेय भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में ग्राम पंचायत द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सुरक्षा गार्डों को "RTGS" के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
4. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

ASK Order

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांकः– एफ 4(69) परावि / पीसी / सुरक्षा गार्ड / विविध / 2014 / जयपुर, दिनांक:– 4215
19.10.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषयः–अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डो को मानदेय भुगतान "RTGS" से करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डो को मानदेय भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या 17668 / 2015 श्योजी लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 6.9.2016 द्वारा सुरक्षा गार्डो को "RTGS" (real time gross settlement) के अनुसार मानदेय भुगतान करने तथा सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्णय की प्रति संलग्न कर निर्देश है कि अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डो को मानदेय भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि को प्रेषित है।
1.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2.विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
3.प्रोग्रामर, पंचायती राज को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No.17668/2015

Shyoji Lal Gurjar son of Shri Pratap Gurjar, aged about 45 years, resident of village Khidgi, Tehsil Niwai, District Tonk.

....Petitioner

VERSUS

1. State of Rajasthan through Principal Secretary, Department of Rural Development and Panchayati Raj, Secretariat, Jaipur.
2. Chief Executive Officer, Zila Parishad (Gramin Vikas Prakosth) Tonk.
3. Block Development Officer, village Panchayat Samiti Khidgi, Panchayat Samiti Niwai, District Tonk.
4. Ramjilal Chaudhary son of Shri Ram Niwas, by caste Jat, resident of village Khidgi, Tehsil Niwai, District Tonk.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

.....Non-Petitioners

DATE OF ORDER : 06/09/2016

HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Mr. Kartar Singh, for petitioner
Mr. S.K. Gupta, AAG, for the State
Mr. Vinod Kumar Sharma, for respondent No.4
Mr. Murarilal Sharma, BDO – present in person

By this writ petition, a challenge is made to the resolution of the Gram Panchayat where a decision was taken to discontinue the petitioner, who was working as Suraksha Guard at Atal Seva Kendra. The court had issued notices and asked learned Additional Advocate General Shri S.K. Gupta to produce the material which was the basis to discontinue the petitioner. The original documents have been brought before the court. It shows complaint against the petitioner, which is reproduced hereunder:

"Date/21/10/15 ग्राम पंचायत खिडगी

विषयः वार्ड पंचों व सरपंच व ग्राम वासियों की बैठक–

उपरोक्त विषयानुसार छोटु s/o राधाकिसन बैरवा ग्रम खिडगी त. निवाई जि.–टोंक की ग्राम पं. में अपील की गई उसके अनुसार समस्त ग्राम वासो व ग्राम पं. को को इकट्ठी करवाई गई प्रार्थी को स्वच्छ भारत

मिशन के तहत शौचालय के 12000/– अक्षरे बारह हजार रूपये का चैक मिला था 2 अक्टूबर 2015 को चैक प्राप्त किया उसको मैंने मेरे खाते में BOB बैंक झिलाय में जमा करवाने के लिए मेरी मां ग्राम प वार्ड पंच वार्ड नम्बर 2 ग्राम खिडगी की होने की वजह से सुरक्षा गार्ड पर भरोसा होने की वजह से चैंक बैंक जमा करवा दिया सुरक्षा गार्ड 8/10/15 को बैंक में जमा करवाय उसके बाद वो ए.टी.एम. कार्ड मांगा और 09/10/15 को गार्ड ने ATM से शौचालय का 12000/– रूपये निकलवाकर लाया पाया गया और छोटू s/o राधाकिसन से पूछने पर ए.टी.एम. खोना बताया प्रार्थी अनपढ होने के नाते बैंक गया बैंक वालों ने खाता में बैलेंस नहीं होना बताया क्योंकि रूपये पहले ही निकल गया था। जब प्रार्थी ग्राम पंचायत आकर बोला कि मेरे रूपये मेरे खाते में नहीं हैं तो पंचायत द्वारा जानकारी करने पर बैंक से ATM द्वारा 12000/– रूपये निकला लिया बैंक एकाउण्ट नम्बर 01/13575 खाता में से ATM/कैश/3939/XXXXXXXXXXXX5150/5150 में से पाया गया आज दिनांक 21/10/15 को प्रार्थी से पूछा गया तो प्रार्थी ने ATM सुरक्षा गार्ड श्योजीराम s/o प्रसाब गुर्जर ग्रान खिडगी को देना बताया तो पंचायत व ग्राम वासी पूछने पर भी सुरक्षा गार्ड मना किया जब पंयाचत ने बैंक द्वारा ए.टी.एम. झिलाय क मैनेंजर साहब से सी.सी. कैमरे के जांच का आदेश दिया उसके बाद सुरक्षा गार्ड श्योजी गुर्जर 12000 रूपये निकलवाने की हां किया और बताया कि मैंने मेरे घर खर्च में भैंरा उधार लाया था उसके रूपये दे दिया उसके बाद ग्राम वासियों ने सुरक्षा की अन्य शिकायतें दर्ज करवाई हुई थीं उनपे ग्राम वासी व पंचायत में विचार कि अटल सेवा केन्द्र पर पेंशनधारी से दबाव देकर दादागिरी से पैसे वसूली करना नरेगा में पैसे पेमेंट दिलाने में पोस्ट आफिस से चौथवसूली करना पाया गया अटल सेवा केन्द्र ग्राम खिडगी में रात को रखवाली पर नहीं जाना व ग्राम वासीयों ने बताया कि अटल सेवा केन्द्र पर जाने पर दादागिरी अपशब्द बोलना अन्यथा कोई नहीं रहने पर केन्द्र के अन्दर सटोरिया बुलाकर जुआबाजी खेलना पाया गया तो सभी बातों ध्यान आकर्षित कर पंचायत में किमती रजिस्टर व इनवेटर व पोस्ट आफिस के रजिस्टर व राजस्व विभाग का भी यही मु. पटवार कार्यालय में जमावन्दी सारे कागज रहते हैं । तो ग्रामवासियों ने सभी का यह निर्णय रहा कि सर्व सहमति से इसका लेटर आगे ऐजेन्सी के पास भिजवाकर हटवाने का निर्णय लिया गया।"

Web Copy - Not Official
Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते

The details given therein show that petitioner was involving himself in the activities other than of Suraksha Guard. The allegations were initially denied by him but when the clipping taken in the CCTV camera was called then he had agreed for withdrawal of Rs.12,000/-. The petitioner is not otherwise working on a permanent post, rather, is a contractual employee at Atal Seva Kendra. In view of the above, petitioner cannot claim continuance of service as not being even a

temporary employee. He was discontinued in the Month of October, 2015. The petitioner was involving himself in activities other than of Suraksha Guard. He was assigned sensitive work and if a person is not fit to discharge the duties, then there remains no justification to continue a contractual employee.

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

The details of the complaint given above reveals that even the petitioner was involved himself in gambling and other activities also. In my opinion, there is no reason to interfere in the resolution of the Gram Panchayat to discontinue the petitioner as Suraksha Guard. The employee kept on contractual basis is not at par with temporary employee.

The writ petition is accordingly dismissed.

It is, however, directed that remaining payment be released in favour of the petitioner within one month from the date of receipt of copy of this order.

It is seen that litigation is mounting with the allegation of non-payment of due amount by the placement agencies thus, a direction is given that onwards the placement agencies would make due payment to Suraksha Guards through Real Time Gross Settlement (for short **"RTGS"**). All the Panchayat Samitis and Zila Parishads would ensure compliance of this order.

[M.N.BHANDARI], J.

FRBOHRA